भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1825
दिनांक 10.02.2026 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों की स्थिति

1825. श्री उज्जवल रमण सिंहः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों की क्षमता और नेतृत्व के संबंध में उनकी स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों को क्षमता-निर्माण और नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(**श्री राजीव रंजन सिंह**)

(**क**) **से (घ**)"पंचायत, "स्थानीय सरकार" होने के कारण, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में निहित राज्य सूची का हिस्सा है। पंचायतों का गठन और संचालन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति की समीक्षा सहित पंचायत से संबंधित सभी कार्य राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243घ में 'प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों' और 'प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कुल पदों' में से महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हालांकि, 21 राज्यों, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जैसे लक्षद्वीप और दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, ने इससे भी आगे बढ़कर अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों/नियमों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे जमीनी स्तर पर शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिल रहा है।

वर्तमान में, मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 24,41,781 निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 12,14,885 (49.75%) महिलाएं निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। यह संख्या निर्धारित न्यूनतम 33% आरक्षण से अधिक

है क्योंकि कई राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण है और चूंकि महिला निर्वाचित प्रतिनिधि अनारक्षित सीटों से भी चुनी जाती हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या गतिशील प्रकृति की होती है जो समय-समय पर पंचायती राज संस्थानों में नए चुनाव होने के साथ बदलती रहती है।

पंचायती राज मंत्रालय ने, पंचायत शासन में सुधार करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों के चयनित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के मूल उद्देश्य के साथ संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना लागू की है। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत, मंत्रालय पंचायतों के चयनित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को विभिन्न श्रेणियों जैसे बुनियादी प्रबोधन और पुनश्चर्या प्रशिक्षण, विषयगत प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण आदि में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2025-26 (31 दिसंबर 2025 तक) कुल 28,60,585 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण के लिए "सशक्त पंचायत नेत्री अभियान" के एक भाग के रूप में एक व्यापक विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया है। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल का मूल बिंदु ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं पर चयनित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता को बढ़ाना, चयनित प्रतिनिधियों के रूप में भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए ज्ञान और व्यावहारिक कौशल को बढ़ाना और प्रभावी महिला नेतृत्व वाले शासन के लिए नेतृत्व, संचार, प्रबंधकीय तथा निर्णय लेने के कौशल को विकसित करना है। इस विशिष्ट मॉड्यूल पर कुल 64,863 महिला प्रतिनिधियों (31 दिसंबर 2025 तक) को प्रशिक्षित किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, पंचायती राज मंत्रालय ने महिला प्रधानों का उनके परिवारों के पुरुष सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के मुद्दे की जांच करने और प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व संबंधित अन्य मुद्दों की भी जांच करने के लिए सितंबर, 2023 में एक सलाहकार समिति का गठन किया। समिति ने फरवरी 2025 में मंत्रालय को सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और इसे मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में छद्म (प्रॉक्सी) नेतृत्व को समाप्त करने और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के वास्तविक सशक्तिकरण, स्वायत्तता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों, क्षमता निर्माण, सामाजिक लेखा परीक्षा और दंडात्मक प्रावधानों सहित आवश्यक उपाय करें। इस मामले के महत्व और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के नेतृत्व पर इसके प्रभाव के कारण, इस मंत्रालय ने महिला प्रधानों के मुद्दों पर सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के व्यवहारिक क्रियान्व यन को सुनिश्चित करने के लिए 17 अप्रैल 2025 को एक टास्क फोर्स का भी गठन किया।

*****